अनुदान संख्या 11 – वाणिज्य विभाग
GRANT No. 11–DEPARTMENT OF COMMERCE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*10,00*		*1,50,00*	*49,44*	*–1,00,56*
पूरक	*Supplementary*	*1,40,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	1872,74,00		2254,08,00	2176,20,49	–77,87,51
पूरक	Supplementary	381,34,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					55,23,41
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	654,00,00		654,01,00	575,82,82	–78,18,18
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					72,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*100.56 लाख रु.*) दिसम्बर, 2006 में प्राप्त किए गए *140.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 72 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 67 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.100.56 lakhs*) constituted 72 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.140.00 lakhs* obtained in December, 2006 and 67 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2057'' पूर्ति तथा निपटान	Major Head "2057" Supplies and Disposals				
मू.	*O.*	*10.00*	*150.00*	*49.44*	*–100.56*
पू.	*S.*	*140.00*			

(I) ''क्रय - पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय'' के अंतर्गत *10.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *140.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *150.00 लाख रु.* कर दिया गया, तथापि, जो कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण *100.56 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Purchase - DGS & D" - the original *appropriation* of *Rs.10.00 lakhs* was augmented to *Rs.150.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.140.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.100.56 lakhs* - due to receipt of less proposals.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (7787.51 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 38134.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 20 प्रतिशत और यह कुल स्वीक त प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.7787.51 lakhs) constituted 20 percent of the supplementary grants of Rs.38134.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	3400.00	3408.05	3295.70	–112.35
पु.	R.	8.05			
मुख्य शीर्ष ''2057'' पूर्ति तथा निपटान	Major Head "2057" Supplies and Disposals				
मू.	O.	5040.00	4860.13	4381.50	–478.63
पु.	R.	–179.87			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2407" बागान	Major Head "2407" Plantations				
मू.	O.	39160.00			
पू.	S.	2.00	35630.00	34881.43	–748.57
पु.	R.	–3532.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	8733.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–8733.00			
मुख्य शीर्ष "3453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	130941.00			
पू.	S.	38132.00	175986.41	175061.86	–924.55
पु.	R.	6913.41			

(I) 9059.00 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 8873.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.9059.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these Rs.8873.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2407" - "काफी - अन्य व्यय - मूल्य स्थिरीकरण निधि स्कीम के अंतर्गत मूल्य स्थिरीकरण निधि न्यास को अदायगी" - 140.00 लाख रु. स्कीम के समीक्षाधीन होने के कारण थे।

(A) Major Head "2407" - "Coffee - Other Expenditure - Payment to Price Stablization Fund Trust under Price Stablization Fund Scheme" - Rs.140.00 lakhs - due to scheme being under review.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(B) Major Head "2552" -

(क) "चाय - अन्य व्यय" -

(a) "Tea - Other Expenditure" -

(i) "चाय उत्पादकों और अन्यों को सहायता" - 5000.00 लाख रु.;

(i) "Assistance to Tea growers and others" - Rs.5000.00 lakhs;

(ii) ''अनुसंधान और विकास'' - 733.00 लाख रु.;

(ii) "Research and Development" - Rs.733.00 lakhs;

(ख) ''काफी - अन्य व्यय - काफी उत्पादकों और अन्यों को सहायता'' - 600.00 लाख रु;

(b) "Coffee - Other Expenditure - Assistance to Coffee growers and others" - Rs.600.00 lakhs;

(ग) ''रबड़ - अन्य व्यय - रबड़ उत्पादकों और अन्यों को सहायता'' - 2000.00 लाख रु.; और

(c) "Rubber - Other Expenditure - Assistance to Rubber growers and others" - Rs.2000.00 lakhs; and

(घ) ''मसाले - अन्य व्यय - मसाला उत्पादकों और अन्यों को सहायता'' - 400.00 लाख रु.।

(d) "Spices - Other Expenditure - Assistance to Spices growers and others" - Rs.400.00 lakhs.

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount owing to non-receipt of sufficient proposals.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - वाणिज्य विभाग'' के अंतर्गत 104.30 लाख रु. की बचत (3400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat-Department of Commerce" - saving of Rs.104.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3400.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष ''2057'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2057" -savings occurred under the following heads:-

(का) ''क्रय - पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय'' - 490.73 लाख रु. की बचत (3240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Purchase - DGS&D" - saving of Rs.490.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3240.00 lakhs); and

(खा) ''निरीक्षण - पूर्ति निरीक्षणालय महानिदेशालय'' - 167.77 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Inspection-Directorate General of Supplies Inspectorate" - saving of Rs.167.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2407'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2407" - savings occurred under the following heads:–

(का) ''चाय'' -

(क) ''पुनर्रोपण के लिए आर्थिक सहायता - चाय बोर्ड'' - 7763.00 लाख रु. की बचत (12011.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''विशेष प्रयोजन चाय निधि'' का गठन न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''चाय बोर्ड'' - 300.00 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) ''चाय क्षेत्र के लिए विकास निधि के अंतर्गत चाय बोर्ड को अदायगी'' - 1032.00 लाख रु. की बचत (4300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चाय क्षेत्र के विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्कीमों को चरणबद्ध रूप से हटाए जाने के कारण हुई।

(खा) ''काफी'' -

(क) ''बागान के लिए आर्थिक सहायता - काफी बोर्ड'' - 1125.00 लाख रु. की बचत (2600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''अन्य व्यय - काफी बोर्ड'' - 1600.00 लाख रु. की बचत (2900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें बोर्ड के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(गा) ''रबड़ - उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगी - रबड़ बोर्ड'' - 1461.65 लाख रु. की बचत (8934.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3453'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(A) "Tea" -

(a) "Subsidy for replantation – Tea Board" – saving of Rs.7763.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12011.00 lakhs) was due to non-creation of "Special Purpose Tea Fund".

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Tea Board" - saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to less demand from the implementing agencies.

(ii) "Payment to Tea Board under Development Fund for Tea Sector" - saving of Rs.1032.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4300.00 lakhs) was due to phasing out the schemes in the Eleventh Five Year Plan for the development of Tea Sector.

(B) "Coffee" -

(a) "Subsidy for Plantation- Coffee Board" - saving of Rs.1125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2600.00 lakhs); and

(b) "Other Expenditure-Coffee Board" -saving of Rs.1600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year with the board.

(C) "Rubber - payment against Collection of Cess-Rubber Board" - saving of Rs.1461.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8934.00 lakhs) was due to less demand from the implementing agencies.

(V) Under Major Head "3453" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''विदेश व्यापार नियंत्रण - विदेश व्यापार महानिदेशक'' - 353.58 लाख रु. की बचत (4376.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''व्यापार सूचना और सांख्यिकी - वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक'' - 125.67 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(गा) ''व्यापार प्रतिनिधित्व - व्यापार आयुक्त'' - 1084.11 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण'' - 1225.00 लाख रु. की बचत (6700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''आधुनिकीकरण और उन्नयन'' - 246.36 लाख रु. की बचत (486.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 75.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 75 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (11592.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 38134.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2407'' -

(क) ''काफी - उपकर के संग्रहण के अंतर्गत अदायगियां - काफी बोर्ड'' - 1099.00 लाख रु.।

(A) "Foreign Trade Control - Director General of Foreign Trade" - saving of Rs.353.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4376.00 lakhs); and

(B) "Trade Information and Statistics - Director General of Commercial Intelligence and Statistics" - saving of Rs.125.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(C) "Trade Representation - Trade Commissioners" - saving of Rs.1084.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to economy measures.

(D) "Other Expenditure" -

(a) "Marine Products Export Development Authority" - saving of Rs.1225.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6700.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies.

(b) "Modernisation and Upgradation" - saving of Rs.246.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.486.00 lakhs) was due to slow progress in implementing the programmes.

(VI) Under one head saving of Rs.75.00 lakhs occurred constituting 75 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.11592.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.38134.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head - "2407" –

(a) "Coffee - Payments against Collection of Cess – Coffee Board" - Rs.1099.00 lakhs.

(ख) ''मसाले - अन्य व्यय - मसाला बोर्ड'' - 943.50 लाख रु.।

(ग) ''अन्य - काजू - काजू निर्यात संवर्धन परिषद'' - 89.50 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3453'' - ''निर्यात संवर्धन तथा विपणन विकास के लिए सहायता - निर्यात संवर्धन तथा विपणन विकास संगठनों के लिए सहायता'' - 9460.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 9423.82 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2407'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''चाय - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें'' - 4801.12 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) ''काफी - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें'' - 225.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) ''रबड़ - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें'' - 1857.51 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घा) ''मसाले - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें'' - 400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 53.41 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 167 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(b) “Spices - Other Expenditure - Spices Board” - Rs.943.50 lakhs.

(c) “Others - Cashew - Cashew Export Promotion Council” - Rs.89.50 lakhs.

(B) Major Head “3453”–“Assistance for Export Promotion and Market Development - Assistance for Export Promotion and Market Development Organisations” - Rs.9460.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.9423.82 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2407” under the following heads:-

(A) “Tea - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim” - excess of Rs.4801.12 lakhs (against nil provision);

(B) “Coffee - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim” - excess of Rs.225.00 lakhs (against nil provision);

(C) “Rubber - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim” - excess of Rs.1857.51 lakhs (against nil provision); and

(D) “Spices - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim” - excess of Rs.400.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.53.41 lakhs occurred constituting 167 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4407'' बागानों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4407" Capital Outlay on Plantations				
पू.	S.	1.00	3000.00	3000.00	. .
पु.	R.	2999.00			
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	5500.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–5500.00			
मुख्य शीर्ष ''5453'' विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5453" Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	49900.00	45200.00	44582.82	–617.18
पु.	R.	–4700.00			

(I) 5500.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''सामान्य - विदेश व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - निर्यात अवसंरचना और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के विकास के लिए केंद्रीय सहायता संबंधी स्कीम'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.5500.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "General - Capital Outlay on Foreign Trade - Other Expenditure - Scheme for Central Assistance for Developing Export Infrastructure and Other Allied Activities" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष ''5453'' - ''सामान्य - अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "5453" - "General-Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''आधुनिकीकरण और उन्नयन'' - 220.55 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(A) "Modernisation and Upgradation" - saving of Rs.220.55 lakhs (against the sanctioned

में) कोलकाता में वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक के कार्यालय भवन के निर्माण की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) ''निर्यात अवसंरचना और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों का विकास करने के लिए केंद्रीय सहायता संबंधी स्कीम'' - 10152.37 लाख रु. की बचत (49500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्यात के लिए अवसंरचना के गठन के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2999.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4407'' - ''चाय - अन्य व्यय - विशेष प्रयोजन चाय निधि को पूंजीगत अंशदान'' के अंतर्गत मार्च, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''5453'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित स्कीमें'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - 5055.74 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

provision of Rs.400.00 lakhs) was due to slow progress for construction of office building of Director General Commercial Intelligence and Statistics at Kolkatta.

(B) "Scheme for Central Assistance for Developing Export Infrastructure and Other Allied Activities" - saving of Rs.10152.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.49500.00 lakhs) was due to less demand from the State Governments and Central Agencies for creation of infrastructure for exports.

4.(I) The above savings were partly (Rs.2999.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2007 under Major Head "4407" - "Tea - Other Expenditure - Capital Contribution to Special Purpose Tea Fund".

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5453" - "General – Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern States including Sikkim" - excess of Rs.5055.74 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.